मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 (चैत्र 22, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, द वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-58-2000-वि.क.-पांच (3), दिनांक 4 जनवरी, 2001; तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 1999),

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बाह शाखा नहर के अंतर्गत लगे संपूरक सिंचाई पंपों के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, मुंशीलाल, अनूप मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले के खजूरी ग्राम में एक परिवार को जिंदा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में अनियमितता होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, केदारनाथ शुक्ल, लवकेश सिंह, सदस्य, सतना नगर दंडाधिकारी के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, सदस्य, इन्दौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हो जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, सागर जिला अंत्यावसायी वित्त विकास निगम द्वारा बेरोजगारों के ऋण हेतु आवेदनों पर कार्यवाही न करने की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, लवकेश सिंह, प्रभाकर सिंह, सदस्य, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सीधी के संचालक मण्डल द्वारा बैंक को क्षति पहुंचाये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री लाल सिंह, सदस्य, ग्वालियर अंत्यावसायी समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम कुसमी में एक व्यक्ति की नदी में गिरने से मृत्यु हो जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर स्थित जे.सी. मिल के श्रमिकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, मुंशीलाल, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, बैतूल निवासी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आत्महत्या का प्रयास किये जाने की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, शिवपुरी जिला चिकित्सालय में इलाज के अभाव में एक बालक की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रमेश अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बदनपुर में एक व्यक्ति का मकान जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री मुंशीलाल, सदस्य, भोपाल जिले के रातीबड़ में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवन में दुर्घटना से श्रमिक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रसाल सिंह, सदस्य, सीहोर स्थित एक निजी विद्यालय द्वारा छात्रों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ.ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम बम्हौड़ी में आर.टी.ओ. द्वारा अवैध वसूली किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की अंखदेवा वितरिका से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से फसलों को क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री बलबीर सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अमायन में एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) चौधरी राकेश सिंह, श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, दतिया जिले के भांडेर नगर में एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(20) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, नरोत्तम मिश्रा, मुंशीलाल, सदस्य, विजयपुर तहसील के बैनीपुरा के कृषकों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री मुंशीलाल, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बुधेड़ा में एक व्यक्ति की हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री गोपीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम आसपुर के वनक्षेत्र में डकैतों के आतंक से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले में अपराधियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, खातेगांव क्षेत्र में स्टेट वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा अखाद्य गेहूं का प्रदाय किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कैडबरी लिमिटेड द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा नगर स्थित शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सक उपलब्ध न होने से घायल छात्रों की मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, सागर जिले में पोस्ट ऑफिस में जमा की गई राशि को फर्जी हस्ताक्षर से निकाले जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, बड़नगर-उज्जैन-देवास मार्ग के कार्य में विभागीय शर्तों का उल्लंघन किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम मिठनपुर में दहेज के कारण एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम कुलैथ में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, शहडोल जिले के अनूपपुर में एक महिला के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(32) सर्वश्री मुन्नासिंह, मुंशीलाल, बंशीलाल जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम किशूपुरा में पुलिस द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, खण्डवा नगर में समाचार-पत्र के ब्यूरो प्रमुख पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्रीमती जमुना चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के कोठी-सिंहपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 11 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 30 सन् 1995) पर पुनर्विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के रहने के लिए संबंधित ग्रामों में शासन द्वारा शिक्षक आवास-गृह शीघ्र बनाये जावें."

(2) सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), बृजमोहन बद्रीनारायण, डॉ. ढालसिंह बिसेन, श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की मस्जिदों में चल रहे मदरसों के समान प्रदेश के रजिस्टर्ड मंदिरों में संस्कृत पाठशालाएं संचालित की जावें."

(3) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नियुक्तियां प्रारंभ की जावें."

भोपाल :
दिनांक : 11 अप्रैल, 2002

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.